(189)

पटना उच्च न्यायालय में
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 13859 / 2017

योगेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता– श्री शारदानन्द शर्मा, निवासी ग्राम–दरियापुर, डाकघर+थाना–बिहटा, जिला–पटना।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
4. जिला मजिस्ट्रेट, सीवान।

.... याचिकाकर्ता

उपस्थितिः
याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ता के लिए : श्री अशोक कुमार चौधरी, अधिवकता।
श्री अक्षांस अंकित, अधिवक्ता।
प्रतिवादी / प्रतिवादियों के लिए : श्री कुणाल तिवारी, एसीटूजीए 2

न्यायालयः माननीय न्यायमूर्ति श्री ज्योति सरन
मौखिक आदेश

दिनांक–28.11.2017

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसेल श्री अशोक कुमार चौधरी और राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता संख्या 2 के विद्वान सहायक काउंसेल श्री कुणाल तिवारी को सुना गया।

याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 2, विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित अधिसूचना संख्या 4640 (एस) दिनांक 22.08.2017 द्वारा अपने स्थानांतरण से व्यथित है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान काउंसेल श्री चौधरी ने बार–बार तबादलों के आधार पर तबादला आदेश पर सवाल उठाते हुए उसे इस आधार पर चुनौती भी दी है कि यह दंडात्मक प्रकृति का है क्योंकि यह याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके कर्तव्य निर्वहन के संबंध में की गई शिकायत पर आधारित है। 205 (1) पीएलजेआर 405 (शेख कलाम बनाम भारत संघ) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि कानूनी स्थिति तय हो चुकी है और दंडात्मक स्थानांतरण से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना है, जो नहीं दिया गया है।

एक जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया गया है और सरकारी अधिवक्ता संख्या 2 के विद्वान सहायक काउंसेल श्री तिवारी ने पैराग्राफ 7 से 15 में दिए गए बयानों

के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतों के लिए उन्हें नोटिस किया गया या और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर, प्रशासनिक हित में, स्थानांतरण हुआ है जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त है।

श्री चौधरी ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता को शिकायत पर नोटिस दी गयी थी, लेकिन स्थानांतरण का आदेश राज्य की एक अलग कार्रवाई है और यदि यह उन आरोपों पर आधारित था तो उन्हें इस पर एक अलग नोटिस की आवश्यकता थी।

मैंने पक्षकारों के विद्वान काउंसेल को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

कानून अच्छी तरह से स्थापित है और दंडात्मक स्थानांतरण से पहले नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। जबकि श्री चौधरी का प्रतिविरोध है कि शिकायत पर याचिकाकर्ता को दी गई सुनवाई का, स्थानांतरण के आदेश से कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि स्थानंतरण का आदेश यह संकेत नहीं देता है कि यह उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप था, लेकिन मेरी राय में श्री चौधरी विद्वान काउंसेल स्थानांतरण आदेश पर सवाल उठाने के लिए केवल तकनीकी आधार पर सवार है। रिकॉर्ड पर दलील यह संतुष्ट करेगी कि यह याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का परिणाम है और इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने से स्थानांतरण हुआ है। स्थानांतरण का आदेश सेवा की एक अत्यावश्यकता है और जब यह प्रशासनिक हित में होता है तो विवेकाधिकार नियंत्री प्राधिकार के पास होता है।

जहाँ तक इस मामले का सवाल है, अभिलेखों से पुष्टि होती है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके कर्तव्य के निर्वहन के बारे में शिकायतें थीं और याचिकाकर्ता को नोटिस दिए जाने के बाद भी, उसके जवाब ने नियंत्री प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं किया होगा। अब भले ही इस तरह के आरोप पर आधारित स्थानांतरण आदेश में कोई उल्लेख न किया गया हो, मेरी राज्य में स्थानांतरण आदेश में इतने शब्दों में यह उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई का परिणाम है और न ही किसी शिकायत पर आधारित स्थानांतरण आदेश के लिए शिकायत पर दिए गए नोटिस के अलावा अलग से नोटिस की आवश्कयता होती है। वर्तमान मामले में स्थानांतरण याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप है। अनुशासनात्मक नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए हर कार्यवाही का

(187)

अनुसासनात्मक स्वरूप होना जरूरी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई के लिए प्रेरणा हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप स्थानांतरण का आदेश हो। अभिलेखों से यह भी पुष्टि होती है कि स्थानांतरण आदेश को सरकार की मंजूरी भी प्राप्त है।

चर्चा की गई परिस्थितियों में अनुग्रह को कोई मामला नहीं बनता है।

रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(ज्योति सरण)
न्यायमूर्ति

एस के पाठक

एएफआर/एनएएफआर	एएफआर
सीएवी दिनांक	एनए
अपलोड करने की तिथि	11.12.2017
संचरण तारीख	एनए

(94)

(120) (38)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.13859 of 2017

Yogendra Prasad Singh, Son of Sri Shardanand Sharma, resident of Village Dariyapur, P.O. + P.S.- Bihta, Distt.- Patna.

.... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Planning and Development Department, Bihar, Patna.
2. The Special Secretary, Planning and Development Department, Bihar, Patna.
3. The Deputy Secretary, Planning and Development Department, Bihar, Patna.
4. The District Magistrate, Siwan.

.... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Ashok Kumar Choudhary, Adv.
Mr. Anil Kumar Tiwary, Adv.
Mr. Akshansh Ankit, Adv.

For the Respondent/s : Mr. Vinay Kirti Singh, GA-2
Mr. Kunal Tiwary, AC to GA-2

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JYOTI SARAN
ORAL JUDGMENT
Date: 28-11-2017

Heard Mr. Ashok Kumar Choudhary, learned counsel appearing for the petitioner and Mr. Kunal Tiwary, learned Assisting Counsel to Government Advocate No.2 for the State.

The petitioner is aggrieved by his transfer vide notification bearing No.4640(S) dated 22.8.2017 passed by the respondent no.2, the Special Secretary, Planning and Development Department, Government of Bihar, Patna.

Mr. Choudhary, learned counsel appearing for the petitioner while questioning the transfer order on grounds of frequent transfer, has also challenged the same on grounds that it is penal in nature as it is founded on a complaint made against the petitioner as to the discharge of his duty. Relying upon a decision of this Court reported in **2015(1) PLJR 405 (Sheikh Kalam Vs. Union of India)** he submits that the legal

position is settled and penal transfer is to be preceded with an opportunity of hearing which has not been done.

A counter affidavit has been filed and Mr. Tiwary, learned Assisting Counsel to Government Advocate No.2 in reference to the statements made at paragraphs 7 to 15 has submitted that for the complaints against the petitioner, he was put on notice and not being satisfied by the reply that in administrative interest, the transfer has taken place which has the approval of the Chief Minister.

The arguments have been contested by Mr. Choudhary to submit that even though the petitioner was put on notice on complaint but the order of transfer is a distinct action of the State and in case it was founded on those allegations then he needed a separate notice on the same.

I have heard learned counsel for the parties and I have perused the records.

Law is well settled and a penal transfer has to be preceded with a notice and opportunity of hearing. While it is the contention of Mr. Choudhary that the hearing given to the petitioner on the complaint has nothing to do with the order of transfer inasmuch as the order of transfer does not indicate that it was in consequence of the said proceeding but in my opinion Mr. Chaudhary learned counsel is riding on a mere technicality to question the transfer order. The pleading on record would satisfy that it is consequence of the proceedings so initiated against the petitioner and not being satisfied by the explanation that the transfer has taken place. An order of transfer is an exigency of service and when it is in administrative interest the discretion lies with the controlling

authority.

In so far as the case in hand is concerned, records confirm that there were complaints against the petitioner as to the discharge of his duty and the petitioner being put on notice, his reply may not have satisfied the controlling authority. Now even if the transfer order while resting on such allegation makes no mention, in my opinion there is neither any requirement in the transfer order to mention in so many words that it is consequence of such administrative action nor a transfer order founded on a complaint requires a separate notice apart from the one given on the complaint. The transfer in the present case is confirmingly in consequence of the administrative action led against the petitioner. Every proceeding need not be disciplinary in nature to result in a penal action under the Disciplinary Rules but certainly can be motive for administrative action to result in an order of transfer. The record also confirms that the transfer order has also the Government sanction.

No case for indulgence is made out in the circumstances discussed.

The writ petition is disposed of.

(Jyoti Saran, J)

SKPathak/-

AFR/NAFR	AFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	11-12-2017
Transmission Date	NA